न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सं. 105/2019 (2019/00133)

उनवान

1. रतन पुत्र रोडू जाति खटीक
2. मोहनलाल पुत्र रोडू जाति खटीक
3. ओमप्रकाश पुत्र रोडू जाति खटीक
4. राजू पुत्र रोडू जाति खटीक
5. पुरली पत्नि रोडू जाति खटीक
6. बरदी पत्नि दुर्गालाल जाति खटीक
7. तन्नु कुमारी पुत्री दुर्गालाल उम्र 9 वर्ष नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता बरदी पत्नि टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर

—वादीगण

बनाम

1. अलोल पुत्री रामदेव पत्नि राजू जाति खटीक निवासी ग्राम टांकावास हाल निवासी खटीक मोहल्ला सावर तहसील सावर जिला अजमेर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,53,54 राज.काश्तकारी अधि.एंव धारा 128 राज.भू.राज.अधि.

–:: निर्णय ::–

दिनांक 8.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र अंन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 54 राज.काश्तकारी अधि.एंव धारा 128 राज.भू.राज.अधि.के तहत पेश किया कि निम्न वर्णित आराजीयाता वाके ग्राम टाकावास की जमाबन्दी सं. 2072–74 तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है ।

खेवट खतोनी संख्या नयी– पुरानी	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
304–320	854	0.36	बीड
156–319	853	0.40	बीड

पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 9.1.2020 को जारी की गई जिसके अनुसार वादी का दावा ग्राम टाकावास बाबत स्वीकार किया गया। ग्राम टाकावास की जमाबन्दी सं. 2072–74 के खाता संख्या नया–पुराना 304–320 खसरा नम्बर 854 रकबा 0.36 है. किस्म बीड खाता स. नया–पुराना 156–319 खसरा नम्बर 853 रकबा 0.40 है. किस्म बीड में वादीगण को विवादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से तथा प्रतिवादी स. 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मैन्युअल के नियम 18 – 21 की पालना में मिटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सावर को 300 रूप्ये की फीस पर कनिश्नर नियुक्त किया गया था कि वे मोका अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि पक्षकारान में बंटवारा करने हेतु प्रस्ताव तैयार करें। तथा अलग–अलग रंग वादीगण /प्रतिवादी के नक्शा ट्रेस में भरा जाकर प्रस्तुत करें। तहसीलदार सावर ने प्रारम्भिक डिकी निर्णय दिनांक 9.1.2020 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया । पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त पक्षकारान मौके पर मौजूद थे। उनके मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करवाये गये। अतः बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	रतन पुत्र रोडू, मोहन पुत्र रोडू, ओमप्रकाश पुत्र रोडू, राजूलाल पुत्र रोडू, पुरसी पत्नि रोडू बरदी पत्नि दुर्गालाल, तन्नु कुमारी दुर्गालाल	854 853/1 कुल किता 2	0-36 0.15	बीड बीड
2	अलोल पुत्री रामदेव पत्नि राजू खटीक निवासी टांकावास हाल निवासी खटीक मोहल्ला सावर	853	0.25	

वादीगण का हिस्सा नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित है एंव प्रतिवादी का हिस्सा नीले रंग से दर्शित है। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खाते व लगान कायम करें तथा नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय प्रशासन गांवों के संग 2021 शिविर टांकावास में मजमे आम में सुनायी गयी ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner